

Order Sheet [Contd]

Case No - B.A -162 / .17बी.ए.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
02-05-17	<p>परिवादी की ओर से श्री विकास कांकर अधिवक्ता।</p> <p>अधिवक्ता श्री पी0एन0भट्टेले द्वारा मय बकालातनामा के एक आवेदनपत्र वास्ते समर्पण अंतर्गत धारा 44(2) जा.फौ. का पेश कर निवेदन किया कि आरोपी/आवेदक अशोकसिंह परिहार प्रकरण में समर्पण करना चाहता है।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक/आरोपी के विरुद्ध परिवादी म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कम्पनी मौ के द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत परिवाद पेश किया गया है जिसमें कि आरोपी/आवेदक के विरुद्ध वारंट जारी है। आवेदक/आरोपी प्रकरण में वांछित होने से उसे अभिरक्षा में लिया जाता है। आरोपी का जेल वारंट बनाकर उप जेल गोहद भेजा जावे।</p> <p>आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री पी0एन0भट्टेले द्वारा आरोपी का नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ. पेश किया गया। उक्त आवेदनपत्र पर उभय पक्ष को सुना गया।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र में निवेदन किया गया है कि आवेदक/आरोपी द्वारा कभी भी विद्युत की चोरी नहीं की गई उनके द्वारा सम्पूर्ण विद्युत की राशि अदा कर दी गई है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पलान करेगा अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आवेदक/आरोपी के विरुद्ध परिवादी विद्युत विभाग ने विद्युत के द्वारा धारा 135 विद्युत अधिनियम का परिवादपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। जिसमें कि आरोपी को चौंकिंग करते समय विद्युत चोरी डायरेक्ट तार डालकर आपराधिकृत रूप से पम्प चलाकर 7.5 एच.पी. का पम्प चलाया जा रहा था। प्रकरण में आरोपी ने आज स्वयं न्यायालय में समर्पण किया है। आरोपी ने विद्युत विल की राशि जमा करने के संबंध में रशीद पेश की गई है। प्रकरण के निराकरण में अभी समय</p>	

लगने की संभावना है एवं आरोपी के द्वारा बकाया बिल की राशि भी जमा कर दी गई है। दशा में आवेदक/आरोपी की ओर से 15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये) रुपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश किये जाने पर उसे नियमित जमानत पर छोड़ा जाये।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत किया जाता है।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक 24.06.2017 को पेश हो।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद